कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, पीलीभीत

पत्रांक :- 489 / /नि० दिनांक : 19 /03/2020

सेवा में,

जिलाधिकारी,
पीलीभीत।

विषय– जनपद पीलीभीत में पीलीभीत माधोटांडा मार्ग (अ.जि.मा.) के किमी. 2 के चैनेज 1.396 से 1.439 पर मार्ग के दायीं ओर ग्राम चिड़िया दाह तहसील व जिला पीलीभीत में एच.पी.सी.एल. द्वारा रिटेल आउटलेट (पेट्रोल पम्प), भूमिगत टैंक इत्यादि की स्थापना हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने के सम्बन्ध में।

संदर्भ– आपका पत्रांक 1481/ओ0एस0डी0/2018–19 दिनांक 16–10–2019

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा प्राप्त मानचित्रों पर रिटेल आउटलेट (पेट्रोल पम्प) के निर्माण हेतु शासन के पत्रांक 1882/23–12–19–1365–17टीसी दिनांक 04–12–2019 एवं मुख्य अभियन्ता, बरेली क्षेत्र, लो0नि0वि0, बरेली के पत्रांक–1298/11 सी–उपक्षे/20 दिनांक 15–03–2020 के क्रम में आवेदक द्वारा प्रस्तुत अभिलेखो यथा प्रार्थना पत्र, भू अभिलेख, चैक लिस्ट एवं मानचित्र के आधार पर प्रोविज़नल अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने की संस्तुति निम्न प्रतिबन्धो/शर्तों के अधीन प्रदान की जाती हैं।

1. मार्ग के मध्य बिन्दु से 220 फीट दोनो ओर की दूरी तक कोई भी स्थायी निर्माण न किया जाये।
2. मानचित्र में प्रस्तावित निर्माण मार्ग के मध्य बिन्दु से 18.30 मी0 की दूरी के बाद ही अस्थायी निर्माण किया जाये।
3. विभिन्न मद का निर्माण कार्य गाईडलाइन के प्रश्न संख्या–20 के अनुसार मानचित्र में दर्शायी गई माप एवं मानक विशिष्टियों के अनुरूप ही सम्पादित किया जाये।
4. प्रस्तावित निर्माण स्थल पर आने–जाने हेतु पहुंच मार्ग का निर्माण गाईडलाइन के प्रश्न संख्या–20 के अनुसार आवेदक को स्वंय अपने निजी व्यय पर कराना होगा।
5. रिटेल आउटलेट से पानी की समुचित निकासी हेतु पुलिया व नाली के निर्माण से सम्बन्धित ले आउट प्लान, पुलिया व नाली की परिकल्पना का अनुमोदन कार्य कराने से पूर्व इस कार्यालय से कराना होगा।
6. रिटेल आउटलेट की स्थापना के फलस्वरूप यातायात की सुरक्षा हेतु आवश्यक साइनबोर्ड एवं रोड मार्किंग की व्यवस्था आवेदक को निजी व्यय पर कराना हेागा।
7. भू–स्वामित्व का विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में प्रस्तावित स्थल पर रिटेल आउटलेट की स्थापना हेतु दी गई प्रोविजनल अनापत्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।
8. भविष्य में प्रश्नगत मार्ग के चौड़ीकरण/मार्ग की श्रेणी में परिवर्तन होने के फलस्वरूप जनसुविधाओं में वृद्धि होने के कारण लो0नि0वि0 को यदि भूमि अधिग्रहण करनी पड़ती है तो उस स्थिति में निर्गत अनापत्ति स्वतः निरस्त हो जायेगी एवं आवेदक को पुनः अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त करना होगा।
9. मार्ग के प्रयोग में लाये जाने हेतु यदि भविष्य में कोई किराया निर्धारित किया जाता है तो उसका वहन सम्बन्धित कम्पनी द्वारा किया जायेगा।
10. शासन के पत्र दिनांक 04.02.2019 द्वारा निर्गत गाईडलाइन का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य होगा।
11. गाईडलाइन में उल्लिखित दिशा–निर्देशो के पैरा संख्या–13.2 के अनुसार प्रोविज़नल अनापत्ति प्रमाण पत्र इस प्रतिबन्ध के साथ निर्गत किया जाता है कि पैरा संख्या–13.3 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

उपरोक्त समस्त प्रतिबन्धो/शर्तो का अनुपालन न किये जाने की स्थिति में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने की संस्तुति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।

संलग्न– स्वीकृत मानचित्र दो प्रति।

(हर स्वरूप सिंह) 18/3/2020
अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लोनिवि, पीलीभीत

1– प्रतिलिपि अवर अभियन्ता–प्रावै0 को सूचनार्थ प्रेषित।
संलग्न– स्वीकृत मानचित्र एक प्रति।

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लोनिवि, पीलीभीत

20/03/2020

अविनाश जैन
उप महाप्रबन्धक–रिटेल
लखनऊ क्षेत्रीय कार्यालय
हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि0